# न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय, सीवान

## भगवानपुर हाट थाना कांड सं. 183/2020

**18.08.2021** भगवानपुर हाट थाना कांड संख्या 183/2020 अंतर्गत धारा 447,341,323,324,435,504,506/34 भा.दं.वि. एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) अनु.जा.ज.जा.(अ.उ.) अधिनियम के अभियुक्त लालधर महतो आज न्यायालय में आत्म समर्पण किये इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर इनके विद्वान अधिवक्ता श्री इश्वरचन्द महाराज एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक राजकिशोर मांझी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 31.07.2020 को संध्या करीब 7 बजे उसके पड़ोसी का लड़का मंटू महतो सूचक के घर के सामने नशे में धुत होकर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर गाली देने लगा। सूचक एवं उसकी पुत्री, पत्नी जब गाली देने से मना किये तो वह मारपीट करने लगा, इसी बीच प्रभु महतो, भीम कुमार, अर्जुन कुमार, लालधर महतो, दीपक कुमार, विरेन्द्र महतो, बिनोद महतो, मनोज महतो, गौरीशंकर महतो, मुनर महतो, बब्लू महतो, शुभलाल महतो, शंकर महतो, भोला महतो, अशोक महतो, पप्पु कुमार, संजय महतो, कमलदेव महतो, राजदेव महतो, शिवदेनी महतो, राजदेव महतो, सबजीत महतो, शिव कुमार महतो, ध्रुप महतो एवं शिवदत्त महतो आये तथा सभी लोग मिलकर सूचक के परिवार के सदस्यों को खींच–खींचकर मारने लगे। सूचक एवं उसके परिवार के सदस्य इधर–उधर भागने लगे तब उपरोक्त लोग ईंट पत्थन, लाठी–डंडा से मारते रहे तथा झोपड़ी में आग लगा दिये। सूचक के अनुसार इस घटना में कुछ 12 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गये। सूचक की पुत्री बबली देवी गर्भवती है जिसे भी चोट लगा और उसका गंभीर हालत बना हुआ है। अभियुक्तगण जान मारने की धमकी दे रहे हैं।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक पक्ष के मीना देवी द्वारा एक मुकदमा भगवानपुर थाना कांड संख्या 184/2020 सूचकपक्ष के विरूद्ध दर्ज कराया गया है उसी का यह पलटावाद है जिससे बचने के लिए सूचक द्वारा यह गलत मुकदमा दाखिल किया गया है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सूचक अथवा अन्य को जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट करने का स्पष्ट आरोप नहीं है और इनके विरूद्ध लगाया गया आरोप असत्य एवं अस्पष्ट है। आवेदक घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे बल्कि वे घटना के समय एलायंस मिल जगदाल पश्चिम बंगाल में कार्यरत थे जिसके संबंध में आवेदन के साथ प्रमाण दाखिल है। मामलें में पूर्व में

सहअभियुक्तों को जमानत की सुविधा प्राप्त है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध गाली गलौज करने एवं मना करने पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं सूचक के परिवार के सदस्यों को मारपीट कर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है। अतः उक्त के आलोक में दाखिल जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

उपरोक्त तर्को, तथ्यों, परिस्थितियों आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट करने अथवा झोपड़ी में आग लगाने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, घटना के लगभग एक वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद जख्मी निक्की कुमार के पैर पर लगे जख्म के प्रकृति के सम्बंध में पूरक जख्म प्रतिवेदन अभियोजन द्वारा नहीं प्रस्तुत करने, मामले के अन्य जख्मियों के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति के पाये जाने, पक्षों के बीच जमींनी विवाद एवं एक दूसरे के विरूद्ध पलटा मुकदमा दर्ज होने, मामले में पूर्व में समान आरोप में सहअभियुक्तों को जमानत की सुविधा प्राप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/ रूपये के बंधपत्र समान राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश